

छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक : एफ 5-41/2016/18
प्रति

नया रायपुर, दिनांक 26 अगस्त, 2017

समस्त आयुक्त,
नगर पालिक निगम
छत्तीसगढ़ ।

विषय :- छ.ग. नगर पालिक निगम, अधिनियम 1956 अंतर्गत ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) उप-विधियां 2010 में संशोधन बाबत।

—0—

विषयांतर्गत छ.ग. नगर पालिक निगम, अधिनियम 1956 अंतर्गत ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) उप-विधियां 2010 में संशोधन हेतु छ.ग. (असाधारण) राजपत्र दिनांक 11 अगस्त 2017 में प्रकाशन किया गया है। अधिसूचना की प्रति संलग्न प्रेषित है।

कृपया संशोधित उप-विधि अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


(एच.आर. दुबे)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
नया रायपुर, दिनांक 26 अगस्त, 2017

पृ. क्रमांक : एफ 5-41/2016/18

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, मानीय मंत्रीजी, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्रालय, नया रायपुर।
2. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संचालनालय, नया रायपुर।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण, नया रायपुर।
4. मुख्य अभियंता, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, नया रायपुर।
5. समस्त संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास छ.ग.।
6. प्रोग्रामर, डाटा सेन्टर, संचालनालय, न.प्र.वि. को वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. रिकार्ड फाईल, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


अवर सचिव 26/8

छत्तीसगढ़ शासन

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

“विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (विना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 352]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 अगस्त 2017 — श्रावण 20, शक 1939

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 10 अगस्त 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-41/2016/18. — छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क. 23 सन् 1956) की धारा 432-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नगर पालिक निगम ठांस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) उप-विधियाँ, 2010 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त उप-विधियों में, -

अनुसूची-2 में, -

(क) सरल क्रमांक 7 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)
“7 अस्पताल/नर्सिंग होम (जैव-यिकित्सीय अपशिष्ट से भिन्न अपशिष्ट के लिये)			
(1)	चिकित्सालय (क्लीनिक)	रु. 1000.00 प्रतिमाह	शासकीय स्वास्थ्य केन्द्र और अस्पतालों के लिये प्रत्येक वर्ग के लिये शुल्क 50% होगा।”
(2)	पैथालॉजी लैब	रु. 1000.00 प्रतिमाह	
(3)	अस्पताल/नर्सिंग होम		
	(1) 20 बिस्तर तक	रु. 1000.00 प्रतिमाह	
	(2) 21 से 50 बिस्तर तक	रु. 2000.00 प्रतिमाह	
	(3) 51 से 100 बिस्तर तक	रु. 3000.00 प्रतिमाह	
	(4) 100 बिस्तर से अधिक	रु. 5000.00 प्रतिमाह”	

(ख) सरल क्रमांक 8 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, संयुक्त सचिव

नया रायपुर, दिनांक 10 अगस्त 2017

क्रमांक एफ 5-41/2016/18. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-41/2016/18, दिनांक 11-8-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, संयुक्त सचिव

Naya Raipur, the 10th August 2017

NOTIFICATION

NO. F 5-41/2016/18. — In exercise of the powers conferred by Section 432-A of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Municipal Corporation Solid Waste (Management and Handling) Bye-Laws, 2010, namely :-

AMENDMENT

In the said bye-laws,-

In Schedule-II, -

(a) for serial number 7 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)
"7. Hospital/Nursing Home (for waste other than bio-medical waste)			
(1)	Dispensary (Clinic)	Rs.1000.00 every month	For Government Health Centres and hospitals, the charges will be 50% for each category.
(2)	Pathology Lab	Rs.1000.00 every month	
(3)	Hospital / Nursing Home		
	(1) Upto 20 beds	Rs.1000.00 every month	
	(2) 21 to 50 beds	Rs.2000.00 every month	
	(3) 51 to 100 beds	Rs.3000.00 every month	
	(4) More than 100 beds	Rs.5000.00 every month	

(b) Serial number 8 and entries relating thereto, shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. EKKA, Joint Secretary,